अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 26 / 2013

रिजवान खातून – अपीलार्थी

वनाम

राज्य – रेस्पोण्डेन्ट

–: आदेश :–

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपीलवाद अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय वाद संख्या 112 / 2013–14 में दिनांक 18.07.2013 को निम्न न्यायालय, सहरसा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है ।

उक्त अपीलवाद ऑगनबाड़ी केन्द्र बालू टोला, केन्द्र संख्या–176 पंचायत – सोनवर्षा, बाल विकास परियोजना, सोनवर्षा से संबंधित है ।

संक्षेप में मामला यह है कि श्री राजय नन्द वार्डियार, सहायक निदेशक आई. सी. डी. एस. निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 09.04.2013 को 11.20 बजे पूर्वाहन् में सोनवर्षा पंचायत के ऑगनबाड़ी केन्द्र बालू टोला, केन्द्र संख्या– 176 बाल विकास परियोजना सोनवर्षा की जॉच की गई । जॉच के कम में ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में निम्नलिखित अनियमितताएँ / त्रुटियॉ पायी गयी :–

केन्द्र पर कुल 15 पंजीकृत बच्चे उपस्थित पाये गये थे । इस ऑगनबाड़ी केन्द्र का संचालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा था । खाना भी नहीं बन रहा था । सेविका द्वारा बताया गया कि खाना उनके घर पर बन रहा है। पढ़ाई लिखाई एवं स्वास्थ्य संबंधी कोई कार्यकम दिखाई नहीं पड़े ।

सहायक निदेशक आई.सी.डी.एस. बिहार, पटना द्वारा उक्त केन्द्र का

जॉच प्रतिवेदन संचिका संख्या आई0 सी0 डी0 एस0 /35020 /30–2013/2297, दिनांक 13.05.2013 द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा को प्राप्त पत्र में ऑगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को चयनमुक्त करने की अनुशंसा की गई है ।

राज्यस्तरीय जॉच टीम द्वारा उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालन में बरती गई अनियमितता/त्रुटियॉ पाये जाने के आलोक में आरोपी ऑगनबाड़ी सहायिका को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 992–1 दिनांक 04.06.2013 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने एवं निर्धारित सुनवाई की तिथि 19.06.2013 को 2.00 बजे अपराहन् में उपस्थित होने का नोटिश निर्गत किया गया वो दिनांक 19.06.2013 को निम्न न्यायालय में सुनवाई की गई । सुनवाई के क्रम में आरोपी सहायिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनवर्षा उपस्थित हुई । ऑगनबाड़ी सहायिका द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित की गई परन्तु उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा ऑगनबाड़ी सहायिका के विरूद्ध चयनमुक्ति का आदेश पारित किया गया ।

ऑगनबाड़ी अपीलवाद की सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि अपीलार्थी दिनांक 09.04.2013 को केन्द्र संचालन हेतु वे केन्द्र का साफ–सफाई कार्य पूर्ण कर रही थी । उनके साथ सेविका भी कार्य में थी । अचानक सेविका का तबीयत अत्यंत खराब हो जाने के क्रम में वे उन्हें नजदीकी चिकित्सा केन्द्र पर ले गई । वे सेविका का उपचार के बाद अकेली बच्चों का पोषाहार बनाने लगी तथा सभी उपस्थित बच्चों को केन्द्र में बैठने वो पठन–पाठन का कार्य किया गया । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि निरीक्षण के दिन केन्द्र पर 38 बच्चों को खाना बनाकर खिला रही थी ।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता आगे कथन करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा नियमित रूप से पोषाहार तैयार कर बच्चों को दिया जाता रहा है। उनके द्वारा केन्द्र संचालन में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गयी है । सहायिका पूर्णतः निर्दोष है । अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा चयनमुक्त ऑगनबाड़ी सहायिका के स्पष्टीकरण को स्वीकार कर निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें सहायिका के पद पर बहाल करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है ।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते है कि राज्यस्तरीय जॉच टीम द्वारा उक्त ऑगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण के क्रम में

केन्द्र संचालन में गम्भीर अनियमितता पायी गयी है जिसके लिए सहायिका भी दोषी है । अस्तु केन्द्र संचालन में बरती गई अनियमितता/त्रुटियों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही एवं युक्तिसंगत है ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना । अभिलेख में रक्षित कागजात/साक्ष्य का सूक्ष्म अवलोकन किया ।

सभी पक्षों को सुन कर एवं अभिलेखीय कागजात के गहन अध्ययनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है । अस्तु निम्न न्यायालय द्वारा पारित में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है । अस्तु अपीलवाद अस्वीकृत ।

इसी के साथ अपीलवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

लेखापित एवं संशोधित,

26/3/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

26/3/14

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।